रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267449
CG-DL-E-07112025-267449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4842] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947
No. 4842] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2025

विषय: आईएस 13252 : भाग 1: 2010 और आईएस 616: 2017 से आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023 को अपनाया जाना।

का.आ. 4997(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11वां) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 18 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस.ओ. 1248 (ई) के तहत, कॉलम (3) में इंगित संबंधित मानकों के अनुपालन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2021" की अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उत्पादों को अधिसूचित किया था।

और जबकि, भारतीय मानक आईएस 13252 : भाग 1 : 2010 और आईएस 616:2017 को अब आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है;

अतः केंद्र सरकार "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2021" में निम्नलिखित संशोधन करती है:

(क) कॉलम (3) में प्रविष्टि "आईएस 13252 : भाग 1 : 2010" और कॉलम (4) में "सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा सामान्य आवश्यकता" को क्रमशः "आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023" और "ऑडियो/वीडियो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण - भाग 1 सुरक्षा आवश्यकता" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) कॉलम (3) में प्रविष्टि “आईएस 616:2017” और कॉलम (4) में “ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकता” को क्रमशः “आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023” और “ऑडियो/वीडियो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण - भाग 1 सुरक्षा आवश्यकता” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2021" की अनुसूची में क्रम संख्या 65 पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए।

क्रम सं. (1)	माल या वस्तुएँ (2)	भारतीय मानक (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)	अनिवार्य आवश्यकताएं (5)
65	विस्तारित वास्तविकता उत्पाद (संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, मिश्रित वास्तविकता आदि)	आईएस/आईईसी 62368: भाग 1: 2023	ऑडियो/वीडियो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण - भाग 1 सुरक्षा आवश्यकता	

(घ) क्रम संख्या 65 पर दी गई वस्तुओं के लिए आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023 के साथ आईएस 13252 : भाग 1: 2010 और आईएस 616: 2017 मानकों के लिए समवर्ती रूप से जारी रहने की अवधि 1 मई, 2026 तक स्वीकृत होगी ।

(ङ) उपरोक्त अन्य सभी वस्तुओं के लिए, आईएस/आईईसी 62368 : भाग 1 : 2023 के साथ आईएस 13252 : भाग 1: 2010 और आईएस 616: 2017 मानकों के लिए समवर्ती रूप से जारी रहने की अवधि 1 नवम्बर, 2028 तक स्वीकृत होगी। इस तिथि के बाद, आईएस 13252 : भाग 1 : 2010 और आईएस 616: 2017 वापस ले लिए जाएंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/34/2025-आईपीएचडब्ल्यू]

आशा नांगिया, ग्रुप प्रमुख एवं वैज्ञानिक 'जी'

नोट: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के एस.ओ. संख्या 1248(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 25 मार्च, 2021 के एस.ओ. संख्या 1353(ई), दिनांक 01 जुलाई, 2021 के एस.ओ. संख्या 2844(ई), दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के एस.ओ. संख्या 1929(ई), दिनांक 9 अप्रैल, 2024 के एस.ओ. संख्या 1652(ई) और दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के एसओ संख्या 4378(ई), दिनांक 20 मार्च, 2025 के एसओ संख्या 1363(ई) और 22 सितम्बर, 2025 के एसओ संख्या 4362(ई) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

Subject: Migration to IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 from IS 13252 : Part 1 : 2010 and IS 616: 2017

S.O. 4997(E).— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, vide S.O. 1248(E) published in the Gazette of India on 18th March, 2021, had notified the products specified in Column (2) of the Schedule to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021” for compliance with the corresponding standards indicated in Column (3).

And whereas, Indian Standards IS 13252 : Part 1 : 2010 and IS 616:2017 have been superseded by IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 ;

Now, therefore, the Central Government hereby makes the following amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021”:

(i) The Entry "IS 13252 : Part 1 : 2010" in Column (3) and "Information Technology Equipment - Safety General Requirements" in column (4) shall be substituted by "IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 " and "Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment - Part 1 Safety Requirements" respectively.

(ii) The Entry "IS 616:2017" in Column (3) and "Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements" in column (4) shall be substituted by "IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 " and "Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment - Part 1 Safety Requirements" respectively.

(iii) The following entry be added at S. No. 65 in the Schedule of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021.

Sr. No. (1)	Goods or Articles (2)	Indian Standard (3)	Title of Indian Standard (4)	Essential Requirement(s) (5)
65	Extended Reality Products (Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality etc.)	IS/IEC 62368: Part 1: 2023	Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment - Part 1 Safety Requirements	

(iv) For good specified at Serial No 65, the period of concurrent running for standards IS 13252 : Part 1: 2010 and IS 616: 2017 with IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 shall be permitted until 1st May, 2026.

(v) For all other goods mentioned above the period of concurrent running for standards IS 13252 : Part 1: 2010 and IS 616: 2017 with IS/IEC 62368 : Part 1 : 2023 shall be permitted untill 1st November, 2028. After this date, IS 13252 : Part 1 : 2010 and IS 616:2017 shall stand withdrawn.

[F. No. W-47/34/2025-IPHW]

ASHA NANGIA, GC & Scientist 'G'

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E) dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July, 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023, S.O. No 1652(E) dated 9th April, 2024, S.O. No 4378(E) dated 9th October, 2024, S.O. No 1363(E) dated 20th March, 2025 and S.O. No 4362(E) dated 22th September, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.07 16:05:14 +05'30'